भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 71

सोमवार, 22 जुलाई, 2024 / 31 आषाढ़, 1946 (शक)

छोटे दुकानदारों हेतु आर्थिक सुरक्षा

71. श्री अरुण भारती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में लगभग तीन करोड़ छोटे व्यापारियों/दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों हेतु पेंशन योजना से लाभ मिलने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार राज्य में उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल छोटे दुकानदारों तथा खुदरा व्यापारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है और अब तक 54157 व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है।

योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

मानदंड	विवरण
आयु	18-40 आयु
मासिक आय / कारोबार	राष्ट्रीय पेंशन योजना में व्यापारियों के लिए 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार (टर्न ओवर)
मासिक अंशदान	55 से 200 रुपये प्रति माह
अपवर्जन मानदंड	एनपीएस के सदस्य / ईएसआईसी / ईपीएफओ
अपवर्जन मानदंड	आयकर दाता

(घ) दिनांक 15.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार में उक्त पेंशन योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 1,760 है।

******